



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 172-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020 (KARTIKA 26, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 नवम्बर, 2020

संख्या 93/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में समग्र आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक है, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान किए गए हैं, के ब्यौरे हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में उक्त सारणी के खाना (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा
(1)	(2)	(3)
1	अक्टूबर, 2020 से दिसंबर, 2020	13 जनवरी, 2021
2	जनवरी, 2021 से मार्च, 2021	13 अप्रैल, 2021

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 मास के लिए ब्यौरे या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th November, 2020

No. 93/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons, who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	October, 2020 to December, 2020	13th January, 2021
2	January, 2021 to March, 2021	13th April, 2021

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under Sub-section (2) of Section 38 of the said Act, for the months of October, 2020 to March, 2021 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.